WESTERN RAILWAY

P.S.No.41/2012

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP 839/12 Vol.IV

Date: 19.04.2012

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub : Periodical transfer of Railway Employees.
==========

A copy of Railway Board's letter No. E(NG)I-2009/TR/7 dated 03.04.2012 (RBE No.48/2012) is enclosed herewith for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter mentioned therein have been circulated as under :-

Sr. No.	Railway Board's letter No. and dated and RBE No.	Circulated under this office letter No. date and P.S.No.
1.	E(NG)I/2000/TR/7 dtd 3.2.2012 (RBE No.17/2012)	EP 839/12 Vol.IV dated 24.2.2012 (P.S.No.15/2012)
2.	E(NG)I/2000/TR/17 dtd 26.6.2000 (RBE No.123/2000)	EP 839/12 Vol.III dated 21.7.2000 (P.S.No.149/2000)

Encl: As above.

24/4/2012
(S. Kademani)
For General Manager(E)

RB/ESTT.No.48/2012

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2009/TR/7 New Delhi, dated 03.04.2012

The General Managers (P)
All Indian Railways/PUs
As per standard list.

Sub: Periodical transfer of non- gazetted Railway employees.

Pursuant to the decision taken in the DC/JCM meeting held on 4th May & 29th June, 2011, while taking the views of both the Federations viz AIRF & NFIR into consideration, instructions on the subject of periodical transfer were issued in a consolidated form on 03.02.2012 incorporating crux/operative parts of the previous rules. Both the federation have now desired that consolidated instructions should have been in a broad form so that, the employees falling under the policy of Periodical Transfer can have more advantage of such policy at a glance. Consequently the matter has again been considered and it has been decided to reiterate these instructions in a widened form covering all the guidelines particularly as contained in Board's letter No.E(NG)I/2000/TR/17 dated 26.06.2000, as below, for strict compliance by all concerned.

(i) No. E(NG)II/78/TR/85 dated 27.04.79
(ii) No. E(NG)II/78/TR/82 dated 07.02.80
(iii) No.E(NG)I/80/TR/28 dated 22.08.80, 31.12.81,19.02.86 and 16.10.87
(iv) No.E(NG)I/87/TR/34/NFIR/JCM/DC dated 27.09.89 and 17.11.92
(v) No.E(NG)I/94/TR/29 dated 02.05.95
(vi) No.E(NG)I/96/TR/42

In terms of the instructions contained in the Ministry's marginally noted letters, Railway employees holding sensitive posts, including those who frequently come into contact with public and/or contractors/suppliers, are required to be transferred every four years. For this purpose, a comprehensive list of sensitive posts has also been circulated. The thrust of these instructions is on transfer from one place to another. However, when transfer of such employees to a

dated 26.11.96.	different place is not possible, they are to be shifted to a different non-sensitive seat in the same place to meet the requirement of periodical transfer.
(i). No.E(NG)I/80/TR/28 dated 22.01.82, 19.02.86,16.10.87, 21.7.88 and 13.04.89. (ii). No.E(NG)I/92/TR/32/JCM/ DC dated 10.08.93, 05.05.94 and 29.06.95. (iii) No.E(NG)I-98/TR/11 dated 30.10.98 and 02.11.98	Instructions also exist vide this Ministry's letters quoted in the margin that Ticket Checking staff as also other staff in mass contact areas, detected to be indulging in malpractices should be sent on inter-divisional transfers as a matter of policy. Besides, the case of the staff who have repeatedly figured in substantiated vigilance cases and where penalties have been imposed, are required to be reviewed at appropriate level and such staff are also to be transferred on inter-divisional basis. Such Ticket Staff may however, be transferred to an adjoining Division on the same Railway or to a Division of some other Railway adjoining the Railway from which they are transferred if employee concerned make a request to that effect. The ticket checking staff who have been transferred out of the Division on complaints of corruption and who were later exonerated or awarded a penalty of censure, may not be brought back to the parent Division, even if they so desire.
(i) No.E(NG)II/77/TR/112 dated 06.02.1978 & 27.05.1978	The genuine grievance of the staff transferred at the instance of S.P.E. and Vigilance Organization, may be heard by the Divisional Railway Manager in respect of divisionally controlled staff and by the Chief Personnel Officer (A) in respect of Head Quarters controlled staff before a final decision to effect the transfers is taken.
(ii) No.E(NG)II-70/TR/28 dated 14.10.70	General Managers could however, exercise their discretion to transfer

	non-gazetted staff from Stations/Posts against whom there are complaints – the man with longest stay being shifted first and those on the verge of their retirement (with one (1) or two (2) years service left) may be exempted if complaints against them are not serious.
(iii) No.E(NG)I-81/TR/19 dated 23.05.81	Frequent transfer of Railway servants should not be ordered. When the transfer of the railway servant is on temporary basis, the same should be mentioned in his transfer orders.
(iv) No.E(NG)I-2002/TR/19 dated 13.8.2002.	Station Masters/Assistant Station Masters posted at Way Side Stations involved only in train passing duties and not doing any commercial duties may be exempted from the purview of the periodical transfer.
(i) No.E(NG)I-2009/TR/7 dated 04.03.2010	It was emphasized that while ensuring compliance and the fundamental objectives of the scheme of periodical transfers, the academic session of the children of the employees being transferred may also be kept in view.
(i) No.E(L)60UT1-31 dated 19.02.1960 (ii). No.E(L)61PE1-43 dated 31.07.1961. (iii) No.E(LR)75 UT1-176 dated 08.08.75 and (iv). No.E(LR)III/79/UTF/14 dated 16.01.1980. No.E(L)64 UTI-113 dated 06.10.1964 & 21.11.1964.	The instructions as contained in Board's various letters prescribing the procedure for transfer of Union Office bearers as reiterated vide Board's letter No. E(LR)III-79/UTF/14 dated 16.01.1980, still hold good. Kindly ensure compliance.

2. It has, time and again, been noticed by this Ministry that the extant instructions on periodical transfer are being interpreted differently by different Railways. The position in this regard, is clarified in the following paragraphs. The instructions for periodical transfer of Railway employees cover two broad categories of staff:-

(i) (a) The first category includes staff of Commercial Department (such as Commercial Supervisors, Enquiry-cum-Reservation Clerks/Booking Clerks, Goods Clerks, Parcel Clerks, Ticket Checking staff etc.) and the staff of the Operating Department (SSs/SMs/ASMs etc.)

(b) In order to avoid large scale dislocation in the case of this category of staff, periodical transfer may, as far as possible, be effected without involving a change of residence of the staff concerned, so long as the fundamental objectives of such transfers can be achieved by transferring such staff to a different location in the same station or to a different station in the same urban agglomeration.

(c) However, the instructions regarding inter divisional/inter-railway transfer of staff detected to be indulging in malpractices or substantiated vigilance cases shall continue to be strictly complied with.

(ii) In the second category, consisting mainly of staff working in offices such as Pay Bill Sections, Stores Offices, Accounts Offices, Fuel Sections, Medical Department, etc., who cannot normally be transferred to another place for reasons like the seniority unit being different/very small, the office being localized etc. a change in seat which will result in change in the nature of job being performed by the staff, will meet the requirement of periodical transfer.

3. While referring to this circular, the original letters referred to herein should be read for proper appreciation. This circular is only a consolidation of the instructions issued so far and should not be treated as a substitution to the originals. In case of doubt, the original circulars should be relied upon as authority. If any circular on the subject which has not been superseded, has not been taken into consideration while preparing this consolidated letter due to oversight, the said circular should be treated as valid and operative.

Please acknowledge receipt

(R.S.Khanna)
Jt. Director Estt.(N)
Railway Board

पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.41/2012

प्रधान कार्यालय,
चर्चगेट, मुंबई.

सं. ईपी 839/12 भाग IV

दि.19-04-2012

सभी म.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज .
प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.
प्रतिः महामंत्री- ऑल इंडिया एस सी/एस टी रेल्वे एम्प्लाइज एसोशिएशन 'वेस्ट' झोन,मुंबई .
प्रतिः महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल्वे एम्प्लाइज एसोशिएशन , मुंबई.

विषय : रेलवे कर्मचारियों का आवधिक स्थानांतरण ।

****

रेलवे बोर्ड के दिनांक 03.04.2012 के पत्र सं.ई (एन जी) I-2009/TR/7 (आर बी ई सं.48/2012) की प्रति आपकी सुचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू इसके साथ संलग्न की जाती है ।

बोर्ड के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित रेलवे बोर्ड के पत्रों को निम्नानुसार परिपत्रित किया गया है ।

क्रम सं.	रेलवे बोर्ड के पत्र सं.तथा दिनांक तथा आरबीई सं.	इस कार्यालय का पत्र, दिनांक तथा पी एस सं. जिससे परिपत्रित किया गया
1.	ई(एन जी)I/2000/टी आर /7 दिनांक 3.2.2012 (आरबीई सं.17/2012)	ई पी 839/12 भाग IV दिनांक 24.2.2012 (पी एस सं.15/2012)
2.	ई(एन जी)I/2000/टी आर /17 दिनांक 26.6.2000 (आरबीई सं.123/2000)	ई पी 839/12 भाग III दिनांक 21.7.2000 (पी एस सं.149/2000)

संलग्न : यथोक्त

24/4/2012
(एस कडेमणी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

आरबी ई सं.48/2012.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एनजी)I-2009/टीआर/7 नई दिल्ली, दिनांक: 03.04.2012

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें /उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों का नियतकालिक स्थानांतरण।

4 मई एवं 29 जून, 2011 को संपन्न डीसी/जेसीएम की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में दोनों फेडरेशनों अर्थात् एआईआरएफ एवं एनएफआईआर के विचारों को ध्यान में रखते हुए नियतकालिक स्थानांतरण से संबंधित अनुदेश 3.2.2012 को समेकित रूप में जारी किए गए थे, जिनमें पिछले नियमों के महत्वपूर्ण मुद्दे /परिचालनिक भाग समाविष्ट किए गए थे। दोनों फेडरेशनों ने अब यह इच्छा व्यक्त की है कि समेकित अनुदेश विस्तृत रूप में होने चाहिए ताकि नियतकालिक स्थानांतरण की नीति के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को एक नजर में ऐसी नीति का अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तदनुसार मामले पर पुनः विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 26.6.2000 के पत्र सं. ई (एनजी)I-2000/टीआर/17 में विशेष रूप से दिए गए सभी दिशा- निर्देशों को शामिल करते हुए इन अनुदेशों को व्यापक रूप से नीचे दिए गए अनुसार दोहराया जाए ताकि सर्व-संबंधितों द्वारा इनका कड़ाई से अनुपालन किया जा सके :-

i	सं. ई (एनजी)II-78/टीआर/85 दिनांक 27.04.79	इस मंत्रालय के मार्जिन में दिए गए पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार संवेदनशील पदों पर कार्यरत रेल कर्मचारियों और जो निरंतर जनता और /अथवा ठेकेदारों/सप्लायरों के सम्पर्क में आते हैं, को प्रत्येक चार वर्ष में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिए संवेदनशील पदों की एक व्यापक सूची भी परिपत्रित की गई है। इन अनुदेशों का मुख्य उद्देश्य उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाना है। बहरहाल, जब ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण किसी अलग स्थान पर करना संभव न हो तो उन्हें नियतकालिक स्थानांतरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसी स्थान पर दूसरी असंवेदनशील सीट पर शिफ्ट किया जाना होता है।
ii	सं. ई (एनजी)II-78/टीआर/82 दिनांक 07.02.80	
iii	सं. ई (एनजी)I-80/टीआर/28 दिनांक 22.08.80, 31.12.81, 19.02.86 एवं 16.10.87	
iv	सं.ई(एनजी)I/87/टीआर/34/एनएफआईआर/जेसीएम/डीसी, दिनांक 27.09.89 एवं 17.11.92	
v	सं. ई (एनजी)I-94/टीआर/29 दिनांक 02.05.95	
vi	सं. ई (एनजी)I-96/टीआर/42, दिनांक 26.11.96.	
i	सं. ई (एनजी)I/80/टीआर/28	इस मंत्रालय के मार्जिन में दिए गए पत्रों में अनुदेश भी मौजूद है

	दिनांक 22.01.82,19.02.86, 16.10.87, 21.7.88 एवं 13.04.89	कि टिकट चैकिंग स्टाफ और जन-संपर्क क्षेत्रों में अन्य कर्मचारी भी यदि कदाचारों में लिप्त पाए जाते हैं तो नीति विषयक मामले के रूप में उनका अंतर-मंडल स्थानांतरण किया जाए। इसके अलावा, उन कर्मचारियों जिन पर अक्सर सतर्कता मामलों में दोष सिद्ध हुए हों और उन पर शास्तियां लगाई गई हों, की उपयुक्त स्तर पर पुनरीक्षा की जानी अपेक्षित होती है और ऐसे कर्मचारियों को भी अंतर-मंडल आधार पर स्थानांतरित किया जाना होता है । बहरहाल, यदि संबंधित कर्मचारी इस आशय का अनुरोध करता है तो ऐसे टिकट चैकिंग कर्मचारी को, उसी रेलवे के समीपवर्ती मंडल पर अथवा उस रेलवे जहां से वे स्थानांतरित किए जाते हैं, के समीपवर्ती किसी अन्य रेलवे के मंडल पर स्थानांतरित किया जाए। टिकट चैकिंग कर्मचारी जिन्हें भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर मंडल से बाहर स्थानांतरित किया गया है और जिन्हें बाद में दोषमुक्त पाया गया है अथवा शास्ति के रूप में निंदा की गई है भले ही वे चाहे तो भी उन्हें मूल मंडल में वापस न भेजा जाए।
ii	सं.ई(एनजी)I/92/टीआर/32/जेसीएम/डीसी,दिनांक10.08.93, 05.05.94, एवं 29.06.95	
iii	सं. ई (एनजी)I-98/टीआर/11 दिनांक 30.10.98 एवं 02.11.98	
i.	सं. ई (एनजी)II-77/टीआर/112 दिनांक 06.02.1978 एवं 27.05.1978	एस.पी.ई. एवं सतर्कता संगठन की पहल पर स्थानांतरित कर्मचारियों की वास्तविक शिकायत की सुनवाई स्थानांतरण संबंधी अंतिम निर्णय लेने से पहले मंडल स्तर पर नियंत्रित कर्मचारी के संबंध में मंडल रेल प्रबंधक द्वारा और मुख्यालय स्तर पर नियंत्रित कर्मचारी के संबंध में मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशा.) द्वारा की जाए।
ii	सं. ई (एनजी)II-70/टीआर/28 दिनांक 14.10.70	बहरहाल, महाप्रबंधक अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अराजपत्रित कर्मचारी को उन स्टेशनों/पदों, जहां से उसके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, से स्थानांतरित कर सकता है- जो कर्मचारी सबसे लंबे समय से एक ही जगह पर है उसे पहले शिफ्ट किया जाए और जिनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है {एक (1) अथवा दो (2) वर्ष की सेवा बाकी है }यदि उसके विरूद्ध की गई शिकायत गंभीर न हो तो उसे छूट प्रदान की जाए।
iii	सं. ई (एनजी)I-81/टीआर/19 दिनांक 23.05.81	रेल सेवकों के बार-बार स्थानांतरण आदेश न किए जाए। जब रेल सेवक का स्थानांतरण अस्थायी आधार पर किया जाए तो उसके स्थानांतरण आदेशों में इसका जिक्र किया जाए।
iv	सं. ई (एनजी)I-2002/टीआर/19 दिनांक 13.9.2002	छोटे स्टेशनों पर कार्यरत स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टर, जो केवल ट्रेन पासिंग ड्यूटियाँ ही करते हों और जो कोई वाणिज्यिक ड्यूटी न करते हों, को नियतकालिक स्थानांतरण की परिधि से छूट दी जाए।
1	सं. ई (एनजी)I-2009/टीआर/7	यह जोर दिया गया था कि नियतकालिक स्थानांतरण की योजना

	दिनांक 04.03.2010	के अनुपालन एवं मूल उद्देश्य सुनिश्चित करते हुए स्थानांतरित किए जाने वाले कर्मचारी के बच्चों के शैक्षिक सत्र को भी ध्यान में रखा जाए।
i ii iii iv v	सं. ई (एल) 60 यूटी1-31 दिनांक 19.02.1960 सं. ई (एल)61 पीई 1-43 दिनांक 31.07.1961 सं. ई (एलआर)75 यूटी 1-176 दिनांक 08.08.75 सं. ई (एलआर)III/79यूटीएफ/14 दिनांक 16.01.1980 सं. ई (एल) 64 यूटीआई-113 दिनांक 06.10.1964 एवं 21.11.1964	संघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले बोर्ड के विभिन्न पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश, जिन्हें बोर्ड के दिनांक 16.01.1980 के पत्र सं.ई (एलआर)III/79 यूटीएफ/14 के पत्र के तहत दोहराया गया है, यथावत् रहेंगे। कृपया इनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

2. इस मंत्रालय के बार-बार ध्यान में यह आया है कि नियतकालिक स्थानांतरण पर मौजूदा अनुदेशों का विभिन्न रेलों द्वारा अलग-अलग अर्थ लगाया जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित पैराग्राफों में स्थिति स्पष्ट की गई है। रेलवे कर्मचारियों के नियतकालिक स्थानांतरण संबंधी अनुदेशों में कर्मचारियों की दो व्यापक कोटियां शामिल की गई हैं:-

(i) (क) पहली कोटि में वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारी (जैसे वाणिज्यिक पर्यवेक्षक, पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक/बुकिंग क्लर्क, गुड्स क्लर्क, पार्सल क्लर्क, टिकट चैकिंग स्टाफ आदि) और परिचालनिक विभाग के कर्मचारी (एस एस/एस एम/एएसएम आदि) शामिल हैं।

(ख) कर्मचारियों की इस कोटि के मामले में बड़े पैमाने पर स्थान-परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से जहां तक संभव हो संबंधित अधिकारी के आवास में परिवर्तन किए बिना नियतकालिक स्थानांतरण किया जाए ताकि ऐसे कर्मचारियों को उसी स्टेशन पर अलग स्थान पर अथवा उसी शहरी क्षेत्र में अलग स्टेशन पर स्थानांतरित करके ऐसे स्थानांतरणों का मूल उद्देश्य प्राप्त किया जा सके ।

(ग) बहरहाल, कदाचारों में लिप्त पाए गए कर्मचारियों अथवा ऐसे कर्मचारियों जो सतर्कता मामलों में दोषी पाए गए हों, उनके बारे में अंतर मंडलीय/अंतर रेलवे स्थानांतरण से संबंधित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

(ii) दूसरी कोटि में मुख्य रूप से पे बिल सेक्शनों, भंडार कार्यालयों, लेखा कार्यालयों, फ्यूल सेक्शनों, चिकित्सा विभाग आदि जैसे कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें सामान्यतः वरिष्ठता यूनिट के अलग होने/बहुत छोटा होने, कार्यालय स्थानीय प्रकृति का होने जैसे कारणों की वजह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, सीट बदलने से कर्मचारी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य का स्वरूप बदल जाएगा , जिससे नियतकालिक स्थानांतरण की आवश्यकता पूरी हो जाएगी।

3. इस परिपत्र का हवाला देते हुए इसमें उल्लेख किए गए मूल पत्रों को उपयुक्त अनुपालन के लिए पढ़ा जाए। यह परिपत्र अभी तक जारी अनुदेशों का संकलन मात्र है और इसे मूल पत्रों के प्रतिस्थापन के रूप में न लिया जाए। किसी प्रकार का संदेह होने पर मूल परिपत्रों को प्राधिकार के रूप में माना जाए। यदि कोई ऐसा परिपत्र जिसका अधिक्रमण न किया गया हो और उसे इस समेकित पत्र को तैयार करते समय भूलवश ध्यान में नहीं रखा गया हो तो उक्त परिपत्र को मान्य और लागू माना जाए।

कृपया पावती दें।

(आर.एस.खन्ना)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराज.)
रेलवे बोर्ड